छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1061/2008

1. श्री जवाहर नागदेव, – अपीलार्थी
सी–3, आर0डी0ए0 बिल्डिंग, शारदा चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय नगर निगम,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 16 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री जवाहर नागदेव द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, रायपुर के समक्ष दिनांक 06.02.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें दिनांक 17.03.2008 को जानकादी दी गई थी, किन्तु वह जानकारी त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.04.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 26.07.2008 को सही जानकारी देने के आदेश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी उन्हें सही जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 05.03.2009 को प्रस्तुत किया गया। उत्तर में जन सूचना अधिकारी ने बताया कि आवेदक को दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण नहीं है, वरन् कार्यालय में उपलब्ध नस्ती के अनुरूप ही है, अतः उन पर शास्ति आरोपित नहीं की जावे। अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह बताया है कि टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग का पत्र पहले नगर निगम ने उपलब्ध नहीं होना बताया, जबकि एक अन्य पत्र दिनांक 18.08.2008 को उन्होंने मिलना स्वीकार किया है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कुछ अन्य प्रकरणों का उल्लेख किया है, जिसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के बाद ही उन्हें जानकारी दी गई है, इसी तरह से दूसरा तर्क यह है कि उन्हें उत्तर दिया गया कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि वह प्रकरण इससे संबंधित था ही नहीं। जन सूचना अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाये हैं, अतः उन्हें त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए दोषी पाया जाता है और किन्तु प्रकरण में चूंकि जानकारी बाद में दे दी गई है, अतः इस संबंध में थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, रायपुर पर एक हजार रूपये की शास्ति अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत आरोपित की जाती है। साथ ही त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 250/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com